न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 03/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति– हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– पिपराली रोड़, गणपति प्लाजा, रेलवे ब्रिज के पास, सीकर
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. कमल कुमार शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा, विजय विहार कॉलोनी, पोलो ग्राउण्ड, सीकर।
2. घनश्याम शर्मा पुत्र गोविन्द राम शर्मा, [illegible] गेट, [illegible] का बास, वार्ड नं. 16, सीकर।
3. मंजू शर्मा पत्नी कमल कुमार शर्मा, विजय विहार कॉलोनी, पोलो ग्राउण्ड, सीकर।

अप्रार्थीगण/ऋणी

4. सुभाष चन्द बहड़ पुत्र हरी राम बहड़, वार्ड नं. 26, बहड़ मार्ग, पोलो ग्राउण्ड के पास, सीकर (राजस्थान)। जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security Interest Act. 2002.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक: 22 जनवरी, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **कमल कुमार शर्मा, घनश्याम शर्मा, मंजू शर्मा, सुभाष चन्द बहड़** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **Equitable Mortgage of Residential Plot at Plot No. 6, Ward No. 40, Jyoti Nagar, Samarthpura, Sikar, Rajasthan. belonging to Kamal Kumar Sharma s/o Madan Lal Sharma and Ghanshyam Sharma s/o Govind Ram Sharma Bounded by North Plot No. 6A, South House of Shri Jagmal Choudhary, East Other`s Plot, West Rasta 18” Wide.** को बंधक रखकर **45,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **पैंत्तालीस लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.10.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction

of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से अधिवक्ता विजयराज सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया लेकिन कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.10.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **कमल कुमार शर्मा, घनश्याम शर्मा, मंजू शर्मा, सुभाष चन्द बहड़** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Equitable Mortgage of Residential Plot at Plot No. 6, Ward No. 40, Jyoti Nagar, Samarthpura, Sikar, Rajasthan, belonging to Kamal Kumar Sharma s/o Madan Lal Sharma and Ghanshyam Sharma s/o Govind Ram Sharma Bounded by North Plot No. 6A, South House of Shri Jagmal Choudhary, East Other`s Plot, West Rasta 18” Wide.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 22 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official